भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 04

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 (4 अग्रहायण,1946, (शक))) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान कम्पनियों को मिल फर्जी बम धमकियों के संबंध में

04. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों (चालू वर्ष सहित) में विमान कंपनियों को उनके विमानों को बम से उड़ाने की कितनी फर्जी धमकियां मिली हैं और सरकार को ऐसी कितनी फर्जी धमकियों की सूचना दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये धमकियां किन्हीं निश्चित स्थानों/राज्यों से आ रही हैं, यदि हां, तो इन्हें समाप्त करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी फर्जी धमकियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) अगस्त 2022 से 13 नवंबर 2024 तक फर्जी बम धमकी वाले कुल 1143 संदेश/कॉल प्राप्त हुई हैं। विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**प्राप्त हुई फर्जी बम धमकियों की संख्या**
अगस्त 2022 - दिसंबर 2022	27
जनवरी 2023 - दिसंबर 2023	122
जनवरी 2024 - 13 नवंबर 2024	994

(ख) ये धमकियां किसी विशिष्ट स्थान से नहीं बल्कि अनिमित (रेंडम) स्थान से प्राप्त हुई हैं।

(ग) देश में विमानन सुरक्षा विनियामक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने ऐसे धमकियों से निपटने के लिए सुदृढ़ प्रोटोकॉल अधिदेशित कर दिए हैं। ऐसे धमकियों से निपटने के लिए **बम थ्रेट असेसमेंट प्लान** (बीटीसीपी) एक विस्तृत आकस्मिक योजना विद्यमान है। बीटीसीपी के एक भाग के रूप में, प्रत्येक हवाईअड्डे पर एक निर्दिष्ट **बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी** (बीटीएसी) होती है जो खतरे का विश्लेषण करती है और उसके अनुसार कार्य करती है। बीटीएसी के आकलन के अनुसार, बम की झूठी कॉल के परिणामस्वरूप कुछ उड़ानों के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप एयरलाइंस, हवाईअड्डों और अन्य हितधारकों पर प्रभाव पड़ता है। बीसीएएस ने देश की सभी नागर विमानन अधिष्ठानों को सुरक्षा उपायों को सुप्रवाही बनाने और नागर विमानन में किसी भी तरह के गैरकानूनी हस्तक्षेप को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की हैं।
